

51

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष/सदस्य महोदय रेव्हेन्यू बोर्ड सर्किल कोर्ट रीवा म० प्र०

श्री वृजेश पांडेय एस.एस.एल
केस नं० 5-5-15

निगरानी 2146-II-15



121
5-5-15

हरकेश प्रसाद लढ़िया तनय श्री रामेश्वर लढ़िया उम्री 50 साल,
निवासी अमोधा कला, तहसील रघुराजनगर सतना, जिला सतना म० प्र०

निगरानीकर्ता

बनाम

1. रूपेश कुमार फौजदार उम्र 50 वर्ष
 2. कलिंग फौजदार उम्र 45 वर्ष
 - सिद्धार्थ फौजदार उम्र 40 वर्ष
- तीनों पुत्रगण श्री आर०के० फौजदार निवासी एम०आई०जी० 5
बांधवगढ़ कालोनी सतना, जिला सतना म० प्र०

गेर निगरानीकर्तागण

निगरानी बिरुद्ध आदेश निर्णय न्यायालय श्रीमान
अपर आयुक्त महोदय रीवा संभागरीवा म० प्र०
का द्वितीय अपील प्र० क्र० 1539/अपील/2011-2015
निर्णय दिनांक 8.4.2015 हरिकेश प्रसाद लढ़िया
बिरुद्ध रूपेश कुमार फौजदार वगैरह

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भूरा 10 सं०
सन 1959 ई.

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न है:-

1. यह कि, दोनों अधीनस्थ न्यायालयों क्रमशः अपर आयुक्त महोदय
रीवा संभाग रीवा म० प्र० द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.4.2015


क्रमांक 5434
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्राप्त
दिनांक 28/5/15
कलकत्ता
राज्य सचिव

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-नि.2146-II/15

जिला-सतना

हरकेश प्रसाद लढिया / रूपेश कुमार फौजदार

(1)	(2)	(3)
21.03.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	